

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 552]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2010—आश्विन 21, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-1-1-2009-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 2 में, अनुक्रमांक बावन तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“बावन—कुटीर एवं ग्रामोद्योग.”;

- (2) अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक “बावन-ग्रामोद्योग विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“बावन—कुटीर एवं ग्रामोद्योग.”;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-1-1-2009-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-1-1-2009-एक (1), दिनांक 13 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2010

No. F.A. 1-1-2009-one-(I).—In exercise of the powers conferred by Clause (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is Pleas ed to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In rule 2, for serial number LII and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

"LII—Cottage and Rural Industry.";

- (2) In the Schedule, for the existing heading "LII-Rural Industry Department", the following heading shall be substituted, namely:—

"LII—Cottage and Rural Industry Department.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.